2012/00236

1

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 12/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्री लीलाधर सैनी, निवासी श्यामनगर, सूरदासवाली, तहसील कोटपूतली। सरण मार्केट, कोटपूतली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व पेचकस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ वार्ड नम्बर 10 सरण मार्केट, कोटपूतली में श्री रतनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुचे। फर्म के प्रोपराईटर श्री लीलाधर सैनी उपस्थित नहीं मिले। दुकान मालिक श्री रतनलाल को बुलाया गया। श्री रतनलाल द्वारा बताया गया कि यह दुकान श्री लीलाधर सैनी को किराये पर दे रखी है तथा उसके द्वारा सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। जांच के दौरान 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस नूमा यंत्र जो रिफलिंग के काम आता है मिला तथा 128 कन्जयुमर ब्ल्यू बुक डायरिया भी प्राप्त हुई। इन 07 घरेलू गैस सिलेण्डर में 3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी. जो कि सभी 14.2 किलोग्राम गैस से भरे हुये थे पाये गये। लीलाधर सैनी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डर में अवैध रूप से गैस स्थानान्तरण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000, आरपीपीएल 1990 एवं विस्फोटक प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व पेचकस को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से इण्डेन गैस सर्विस कोटपूतली की सुपुर्दगी में दिये गये तथा 128 कन्ज्यूमर ब्ल्यू डायरियों को भी जब्त कर लिया गया। इस जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर जयपुर

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 17.02.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री मुरारीलाल गुप्ता उपस्थित हुये। श्रीमती विमला देवी, श्री मुकेश चन्द, श्रीमती अगुंरी देवी, श्री हरिदयाल, श्री मदनलाल, श्री कृष्ण कुमार की और से अभिभाषक श्री मुरारीलाल गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः पत्रावली बहस पैराकार रसद हेतु नियत की गई

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौराने वार्ड नम्बर 10 सरण मार्केट, कोटपूतली में श्री रतनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुचे जिन्हाने यह दुकान श्री लीलाधर सैनी को किराये पर दे रखी है। दुकान की जांच के दौरान 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस नूमा यंत्र जो रिफलिंग के काम आता है मिला तथा 128 कन्जयुमर बुक डायरिया भी प्राप्त हुई। इन 07 घरेलू गैस सिलेण्डर में 3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी. जो कि सभी 14.2 किलोग्राम गैस से भरे हुये पाये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 13.05.2013 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस पाये गये। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी. व 04 एच.पी.सी.) मय एल.पी.जी., 1 छोटे सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 3 बांसूरी व 01 पेचकस को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 17.02.2012 को पारित किये जा चुके है । तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर